डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **330/2017** दायर दिनाँक **04.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मेहबूब खाँ पुत्र जोमरदीन खाँ, उम्र–50साल, जाति–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. ईजाज मोहम्मद पुत्र जोमरदीन खाँ, उम्र–60साल, 2. अयूब खाँ पुत्र जोमरदीन खाँ, उम्र–42साल, 3. युसुफ खाँ पुत्र जोमरदीन खाँ, उम्र–40साल, 4. मोहब्बत खाँ पुत्र जोमरदीन खाँ, उम्र–37साल, 5. रहमत पुत्री जोमरदीन खाँ, उम्र–50साल, 6. ऐमना पुत्री जोमरदीन खाँ, उम्र–45साल, 7. मकसूदा पुत्री जोमरदीन खाँ, उम्र–40साल, 8. लोड़ी बानू पुत्री जोमरदीन खाँ, उम्र–35साल, 9. घेका बेगम पत्नी लोडूखाँ, उम्र–70साल, 10. जीवण खाँ पुत्र उमर खाँ, उम्र–55साल, 11. अलाउदीन पुत्र लाल खाँ, उम्र–60साल, समस्त,जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **14.12.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मो0 रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 11 ओर से मद्दायलह

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not ...
Scanned by CamScanner

पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, शरहद शेरानी आबाद पटवार क्षेत्र शेरानी आबाद भू–अभिलेख क्षेत्र खाटूखुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान में निम्न खसरान् की भूमियों की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 425 रकबा 12.19 बीघा में से रकबा 03.05 बीघा भूमि का वादी महबूब खाँ को, रकबा 03.04 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 ईजाज मोहम्मद को, रकबा 01.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 अयूब को, रकबा 02.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 युसुफ को व रकबा 03.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 मोहब्बत को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. खसरा नम्बर 426 रकबा 12.18 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 घेका बेगम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 12.19 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 08, 10, व 11 का नाम तथा खसरा नम्बर 426 रकबा 12.18 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 व हबीबन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत................ .....–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **14.12.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **330/2017** दायर दिनाँक **04.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मेहबूब खाँ पुत्र जोमरदीन खाँ, उम्र—50साल, जाति—शेरानी आबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. ईजाज मोहम्मद पुत्र जोमरदीन खाँ, उम्र—60साल, 2. अयूब खाँ पुत्र जोमरदीन खाँ, उम्र—42साल, 3. युसुफ खाँ पुत्र जोमरदीन खाँ, उम्र—40साल, 4. मोहब्बत खाँ पुत्र जोमरदीन खाँ, उम्र—37साल, 5. रहमत पुत्री जोमरदीन खाँ, उम्र—50साल, 6. ऐमना पुत्री जोमरदीन खाँ, उम्र—45साल, 7. मकसूदा पुत्री जोमरदीन खाँ, उम्र—40साल, 8. लोड़ी बानू पुत्री जोमरदीन खाँ, उम्र—35साल, 9. घेका बेगम पत्नी लोडूखाँ, उम्र—70साल, 10. जीवण खाँ पुत्र उमर खाँ, उम्र—55साल, 11. अलाउदीन पुत्र लाल खाँ, उम्र—60साल, समस्त,जाति—शेरानी मुसलमान, निवासी—शेरानी आबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 12. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :—

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मो0 रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 11 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–330 / 2017
दायर दिनाँक 04.12.2017, निर्णय दिनाँक 14.12.2017
मेहबूब खाँ बनाम् ईजाज मोहम्मद, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 14.12.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 एक ही परिवार से हैं। खेत खसरा नम्बर 426 रकबा 12.18 बीघा, खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 12.19 बीघा, वाकै शरहद शेरानी आबाद में अवस्थित है।

वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। नकल खतौनी पेश है। वादग्रस्त भूमि में खातेदार फौत हो चुके है, जिनके वारिशान् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 08 हैं।

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में अवश्य ही दर्ज है मगर वादग्रस्त भूमि का मौखिक बन्टवारा वादी व प्रतिवादीगण के बीच हो चुका है, जो निम्नानुसार है:–

(क) <u>शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 12.19 बीघा का बन्ट–</u>

वादी मेहबूब खाँ के रकबा 03.05 बीघा, प्रतिवादी संख्या 01 ईजाज मोहम्मद के रकबा 03.04 बीघा, प्रतिवादी संख्या 02 अयूब के रकबा 01 बीघा, प्रतिवादी संख्या 03 युसुफ के रकबा 03.05 बीघा व प्रतिवादी संख्या 04 मोहब्बत के रकबा 03.05 बीघा भूमि संयुक्त रूप से बन्ट में आयी हुई है।

(ख) <u>शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 426 रकबा 12.18 बीघा का बन्ट–</u>

प्रतिवादी संख्या 09 घेका बेगम के सम्पूर्ण बन्ट में आया हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 10 जीवणखाँ व प्रतिवादी संख्या 11 अलाउदीन को ग्राम शेरानी आबाद व बड़ाबरा के कॉकड़ में खेत बन्ट में दे चुके है तथा उक्त खसरान् की भूमि में इनका कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 08 को सामाजिक रीति रिवाज अनुसार हक अदा कर दिया गया है। इसलिए इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे।

वादी अपने बन्ट की भूमि में कदीम से काश्त करते आये है। दिनाँक 28.11.2017 को वादी को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि बैचने की एलानियाँ धमकी दी गयी है। इसलिए वादी को यह पेश करना लाजमी आया है।

यह वाद किसी सरकारी भूमि बाबत् नहीं होने से तहसीलदार डीडवाना को वाद से पूर्व दो माह की अवधि का कानूनी नोटिस नहीं दिया गया है। तहसीलदार डीडवाना लैण्ड हौल्डर होने से उन्हें प्रतिवादी बनाया गया है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–330/2017
दायर दिनाँक 04.12.2017, निणर्य दिनाँक 14.12.2017
मेहबूब खाँ बनाम् ईजाज मोहम्मद, वगैरा।

प्रार्थना वादी है कि–

(क) शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 12.19 बीघा का बन्ट–

वादी मेहबूब खाँ के रकबा 03.05 बीघा, प्रतिवादी संख्या 01 ईजाज मोहम्मद के रकबा 03.04 बीघा, प्रतिवादी संख्या 02 अयूब के रकबा 01 बीघा, प्रतिवादी संख्या 03 युसुफ के रकबा 02.05 बीघा व प्रतिवादी संख्या 04 मोहब्बत के रकबा 03.05 बीघा भूमि संयुक्त रूप से बन्ट में रखी जावे।

(ख) शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 426 रकबा 12.18 बीघा का बन्ट–

प्रतिवादी संख्या 09 घेका बेगम के सम्पूर्ण बन्ट में रखी जावे।

शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 12.19 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 05, 08, 10, व 11 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 426 रकबा 12.18 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 का नाम व हवीबन का नाम राजंस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम शेरानी आबाद सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 69/59 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम शेरानी आबाद सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 190/171 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, ता 11 के बीच राजीनामा के संलग्न दस्तावेजात्, राजस्थान–सरकार द्वारा जारी परिवार राशन–कार्ड बारकोड संख्या 008258201499 ग्राम शेरानी आबाद की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग पहचान–पत्र AZB/0205534 निर्वाचक का नाम इजाज खाँ की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 652587828103 नाम युसूफ खान की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 645464455048 नाम मोहब्बत अली की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 578725199115 नाम रहमत बेगम की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग पहचान–पत्र MTW/1406339 निर्वाचक का नाम सायरा की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 324647651829 नाम मकसूदा बानो की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 400136781114 नाम मेहमूदा बेगम की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 228432827015 नाम जीवन खान की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 913881992256 नाम अलाउदीन खान की छायाप्रति, भारत सरकार द्वारा जारी आधार संख्या 399240177773 नाम गेका बानो की छायाप्रति, पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–330/2017
दायर दिनाँक 04.12.2017, निर्णय दिनाँक 14.12.2017
मेहबूब खाँ बनाम् ईजाज मोहम्मद, वगैरा।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 12 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 11 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मो0 शरीफ शेरानी ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मो0 रफीक ने की है। हस्ब वख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के मुताबिक, वाद वर्णित मौखिक बन्ट अनुसार पक्षकारान् खातेदारी चाहते हैं।

वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गई। अधिवक्तागण पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर दिया है। राजीनामा पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य में, पक्षकारान्, खातेदारी चाहते हैं। वाद में किसी पक्षकार द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, शरहद शेरानी आबाद पटवार क्षेत्र शेरानी आबाद भू–अभिलेख क्षेत्र खाटूखुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान में निम्न खसरान् की भूमियों की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 425 रकबा 12.19 बीघा में से रकबा 03.05 बीघा भूमि का वादी मेहबूब खाँ को, रकबा 03.04 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 ईजाज मोहम्मद को, रकबा 01.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 अयूब को, रकबा 02.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 युसुफ को व रकबा 03.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 मोहब्बत को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. खसरा नम्बर 426 रकबा 12.18 बीघा सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 घेका बेगम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 12.19 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 08, 10, व 11 का नाम तथा खसरा नम्बर 426 रकबा 12.18 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 व हबीबन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **14.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–330–2017 / रीडर / 2017 / 1184 दिनाँक 28/12/17

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मेहबूब खाँ पुत्र जोमरदीन खाँ, उम्र–50साल, जाति–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. ईजाज मोहम्मद पुत्र जोमरदीन खाँ, उम्र–60साल, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner